मुख्य अभियंता–5, मुजफ्फरपुर का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

पत्रांक–II मु0अ0–5,त0स्वी0–07–45 / 25 2364 अनु0 दिनांक– 19.7.25

प्रेषक,

ई0 जय किशोर ठाकुर,
मुख्य अभियंता–5,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, **सिवान।**

विषयः– शीर्ष **MMGSUY योजना** अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, **महाराजगंज** के अधीन स्वीकृत **24 अदद पथों** के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–558 अनु0 दिनांक–18.07.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, **महाराजगंज के** अधीन स्वीकृत **पथों** के प्राक्कलनों पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ **07** में अंकित है।

2. बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के **पत्रांक–2448 दिनांक–27.06.2025** के द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त है, जो कि पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ **05** एवं **06** में अंकित है।
3. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रावधानित पुल / पुलियों स्थल के अवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित किया जाये।
5. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एव कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को प्रत्येक माह की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति न समझी जाए।
7. अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, **सिवान** ऐसे मदों के दर, जो अनुसूचित दर में नहीं है, का दर विश्लेषण केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
8. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है।

अनु0–स्वीकृत प्राक्कलन दो प्रति में।

विश्वासभाजन
19.07.25
मुख्य अभियंता–5

Scanned with OKEN Scanner

प्रावैधिक टिप्पणी

परियोजना का नाम :– परिशिष्ट ' क ' के स्तम्भ 3 के अनुसार

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंगः– परिशिष्ट ' क ' के स्तम्भ 5 से 6 के अनुसार

विवरणी

1. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 7 में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य **MMGSUY योजना** की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त ओर प्रतीकारात्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, **कार्य अंचल, सिवान** की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वंय कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पुल/पुलिया कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकड़ा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृती की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगीः–
   प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
   अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण के लिए एन0एन0आर0डी0ए0/एस0टी0ए0 द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आड़ीकाट एवं लम्ब काट के आधार पर है, यह मानते हुए गणना की गयी है कि आड़ीकाट में जमीन उपलब्ध है।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बाँध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एव स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification तथा Rural Roads Manual की विशिष्टि का अनुसरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण नें कैम्बर, ग्रैडियंट आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरान्त ही निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में **MMGSUY योजना** की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।
17. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य से किसी भी तरह से **MMGSUY योजना** की मार्गदर्शिका के निर्देशों का उल्लंघन न हों।
18. स्वीकृत कार्य के विरूद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकुल घटा ली जाये।
19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
20. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय–सीमा के अनुरूप हो।

Scanned with OKEN Scanner

21. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो ले कि एफ0एल0 बाढ़ स्तर के अनुरूप हो।

22. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण–नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन–।। के अनुरूप किया जाये।

23. जिन कार्यों का दर अनुसूचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अंकित को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ तो।

24. ग्र्र्व में कराए गए कार्यों से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरान्त निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।

25. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।

26. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र–संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर प्रमाण–पत्र देंगे।

27. प्राक्कलन में प्रयुक्त तकनीकी आँकड़ों को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।

28. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहां से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर न्यूनतम दर का प्रावधान अधीक्षण अभियंता, सुनिश्चित करेंगे।

29. अधीक्षण अभियंता अपने स्तर से दर विशलेषण की जॉच कर लेंगे एवं यह भी सुनिश्चित कर लेगें कि दर ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–2461 दिनांक–18.07.2024 के अनुरूप हो। यदि त्रुटि हो, तो अपने स्तर से सुधार कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

19-07-25

मुख्य अभियंता–5

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–क

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, महाराजगंज के अधीन शीर्ष ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम योजना अन्तर्गत प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत योजनाओं की सूची।

S. No.	Name of Division	Block	Name of Scheme	Administrative Approval			T.S. Cost (Rs.in lakhs)
				Length (in Kms)	Department Ref Lett. No. & Date	A.A Cost (Rs.in lakhs)	
1	2		3	4	5	6	7
1	Maharajganj	Basantpur	Punkal Mahato Ke Dalan to Inder Ray Ke Ghar	1.500	2448/27.06.25	102.698	86.85
2	Maharajganj	Bhagwanpur Hatt	Banpura to Baghi Tola via Bishnu Dham	1.850	2448/27.06.25	136.523	112.44
3	Maharajganj	Bhagwanpur Hatt	Salempur Nathuni Mahto Ke Ghar to Salempur Chhabila Mahto Ke Ghar Tak	1.170	2448/27.06.25	83.139	70.30
4	Maharajganj	Daraundha	Rama Chapra Binda Singh ka Ghar to Bhusi ki ORE	1.800	2448/27.06.25	143.268	117.85
5	Maharajganj	Daraundha	Dhumal Pandat to Sasha Bajar	2.000	2448/27.06.25	139.128	113.43
6	Maharajganj	Daraundha	Bajrang Mandar to Lank Road Bhabu Chapra	1.800	2448/27.06.25	118.193	99.95
7	Maharajganj	Daraundha	Rukundipur Chhotan Shriwastaw Ke Ghar to Rukundipur Rasulpur Sima Tak	2.000	2448/27.06.25	134.125	113.43
8	Maharajganj	Daraundha	Charmuhani to Garh Tola	1.200	2448/27.06.25	94.274	79.72
9	Maharajganj	Daraundha	RAMGARHA NAUA TOLA TO NAUA TOLA	1.500	2448/27.06.25	98.618	83.41
10	Maharajganj	Daraundha	SWAN BIGRAH PATH TO LALAN MAHTO KE GHAR TAK	1.800	2448/27.06.25	121.418	114.03
11	Maharajganj	Daraundha	RAMGARHA Purab Tola ka Purab Tola	1.320	2448/27.06.25	89.868	76.00
12	Maharajganj	Goreyakothi	Sadipur to Jamo Mirjapur Path	1.680	2448/27.06.25	136.172	112.31
13	Maharajganj	Goreyakothi	L059 to Purab tola	1.250	2448/27.06.25	106.115	74.32
14	Maharajganj	Goreyakothi	L033 to koiri tola	1.440	2448/27.06.25	101.096	85.49
15	Maharajganj	Goreyakothi	S07 to Tola par	1.300	2448/27.06.25	106.115	89.74
16	Maharajganj	Lakari Nabiganj	Balthara to Nabiganj	4.800	2448/27.06.25	571.037	473.35
17	Maharajganj	Lakari Nabiganj	S016 to Imadpur	2.050	2448/27.06.25	169.468	138.76
18	Maharajganj	Lakari Nabiganj	Khawaspur Dhanuk Tola to Khawaspur Nandpur Tola	1.280	2448/27.06.25	89.277	75.50
19	Maharajganj	Lakari Nabiganj	Mahuari Bazar to Nagbansi Tola	1.600	2448/27.06.25	114.265	96.63
20	Maharajganj	Lakari Nabiganj	Khawaspur Malikana Tola to Khawaspur Dhanuk Tola	1.330	2448/27.06.25	92.054	77.85
21	Maharajganj	Lakari Nabiganj	L042 (Madhya Vidyalaya Dumra) to Sikatiya Lala Tola	1.950	2448/27.06.25	137.906	116.62
22	Maharajganj	Lakari Nabiganj	L041 (Bhopatpur Kohluary Tola) to Bhopatpur Bhartiya Dusadh Tola	2.070	2448/27.06.25	145.812	123.31
23	Maharajganj	Maharajganj	T01 to Paschim Tola	2.000	2448/27.06.25	134.614	113.84
24	Maharajganj	Maharajganj	L034 To Dhobi Tola	1.300	2448/27.06.25	99.669	82.86

Scanned with OKEN Scanner